<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> <u>चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र0</u>

<u>दांडिक प्रकरण क-123/16</u> संस्थित दिनांक- 03.05.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- राजू उर्फ जावेद पुत्र जमीलउर रहमान उम्र 40 साल, निवासी मैदान गली चंदेरी,
- रिव अहिरवार पुत्र गंगाराम अहिरवार उम्र 29 साल, निवासी मेला ग्राउण्ड बाई पास चंदेरी,
- बबुआ उर्फ शािकर पुत्र लहीक खान मुसलमाल उम्र 22 साल, निवासी मैदान गली चंदेरी, सभी निवासीगण जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 17.08.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि० की धारा 452/34, 323/34 दो बार एवं 506 भाग—2 के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.02.2016 को 11:00 बजे फरियादी का घर ग्राम नायपुरा में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी राजकुमार के घर में घुसकर उपहित कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृहअतिचार कारित कर फरियादी राजकुमार को एवं आहत महक को लातघूंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की व फरियादी राजकुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उन्होंने दिनांक 04.02.2016 को फरियादी के बच्चे भाई ब्रज किशोर के साले की लड़की की शादी में कृष्णा मेरिज होटल में गये थे। राजकुमार की लड़की महक व पत्नी रेखा के साथ घर पर आईं। तभी राजकुमार भोपाल से आया था, तो राज टेंट वाला व उसके कर्मचारी एकदम से आये ओर बोले मनोज कहा है जब राजकुमार ने मना किया वह घर पर नहीं है तो राज टेंट वाला व उसके कर्मचारी लातघूंसों से राजकुमार

की मारपीट करने लगे व उसकी बच्ची महक की भी चांटों से मारपीट कर दी जिससे दोना को मुंदी चोटें आईं तभी घटना के समय डालचंद व गोपीलाल आ गये जिन्होने घटना को देखी। अभियुक्तगण कहने लगे कि लडके का पता नहीं बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी राजकुमार द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—59/2016 अंतर्गत धारा—323/34, 506 इजाफा 452 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.08.2017 को फरियादी राजकुमार, रेखा बाई मनोज द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) का प्रस्तुत किया गया था व एक अन्य आवेदन अंतर्गत धारा 320 (4) का रेखा बाई के द्वारा अपनी नाबलिग पुत्री महक की ओर अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत् प्रस्तुत कर अनुमित चाही गई थीं। उक्त आवेदनों को स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भादिव की धारा 323/34 दो बार, 506 भाग—दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा0द0वि० की धारा 452 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

- 1. क्या अभियुक्तगण ने उन्होने दिनांक 04.02.2016 को 11 बजे फरियादी का घर ग्राम नायपुरा में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी राजकुमार के घर में घुसकर उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया ?
- 2. |दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी राजकुमार (अ०सा0—2) सहित घटना में आहत फरियादी की पत्नी रेखा बाई (अ०सा0—3) पुत्री महक (अ०सा0—4) व पुत्र मनोज कोली (अ०सा0—5) के कथनों सहित चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा0—1) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी राजकुमार असा 2 अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता है। उसने पहले कभी अभियुक्तगण को नहीं देखा। फरियादी के अनुसार अभियुक्तगण के बारे में उसके लडके मनोज (अ०सा0—5) ने उसे बताया था। घ ाटना के संबंध में फरियादी राजकुमार (अ०सा0—2)का कहना है कि वह अपने व्यवसाय के काम से भोपाल गया था और रात्रि करीबन 11 से 12 बजे वापस आया था, फरियादी के अनुसार उसकी पत्नी और बच्चे शादी में गये थे तथा शादी से लौटने पर उन्होंने बताया था कि मनोज (अ०सा0—5) का शादी में टेंट वालों से कुछ विवाद हो गया था।
- 07— राजकुमार (अ०सा0—2) का कहना है कि घटना के समय वह चंदेरी में नहीं था घरवालों के बताने पर वह भोपाल से आने के तुरन्त बाद अपने लड़ के मनोज (अ०सा0—5) को लेकर पुलिस थाना चंदेरी में रिपोर्ट करने गया था और रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 लिखवाई थी जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। फरियादी राजकुमार (अ०सा0—2) जो कि अभियोजन घटना के अनुसार घटना में आहत होकर घटना का मुख्य साक्षी है अपने सामने या अपने घर पर कोई घटना घटित न होना बताता है तथा शादी में टेंट वालों से मनोज (अ०सा0—5) के विवाद की घटना घरवालों को बताने पर थाने पर रिपोर्ट करने जाना बताता है। अतः फरियादी राजकुमार (अ०सा0—2) के अनुसार अभियुक्तगण ने उसके सामने तथा उसके साथ घर में घुसकर कोई घटना कारित नहीं की।
- 08— घटना में आहत रेखा बाई (अ०सा०—3) का अपने कथनों में कहना है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई वह लोग रिश्तेदारी में शादी में कृष्णा मेरिज हाउस गये थे तथा वहां से 10—11 बजे वापस आये थे। रेखा बाई (अ०सा०—3) बताया था शादी में उसका टेंट वालों से कुछ विवाद हो गया था, और इस घटना के बारे में फिर उसने अपने पित को बताया था। अतः रेखा बाई (अ०सा०—3) के अनुसार भी अभियुक्तगण ने उसके सामने तथा उसके साथ घर में घुसकर कोई घटना कारित नहीं की और न ही कृष्णा मैरिज हाउस में उसने अपने पुत्र मनोज (अ०सा०—5) का टैंट वालों से विवाद होते हुये देखा था। रेखा बाई (अ०सा०—3) के अनुसार उसे मनोज का टेंट वालों से विवाद होने की जानकारी

मनोज द्वारा ही दी गयी थी। जिससे स्पष्ट होता है कि रेखा बाई (अ०सा0–3) के अनुसार उसके सामने कोई घटना नहीं हुयी उसे मात्र मनोज असा 5 के बताये अनुसार घटना की जानकारी है।

- 09— महक (अ0सा0—4) जो कि नाबिलग है तथा फिरयादी की पुत्री हैं। अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करती हैं तथा पुलिस को भी कोई कथन न दिया जाना बताता है। जबिक अभियोजन घटना के अनुसार वह स्वयं भी घटना में आहत है। अभियोजन के द्वारा मनोज (अ0सा0—5) के कथन भी न्यायालय में कराये गये है जिससे अभियोजन घटना के अनुसार विवाद की शुरूआत हुई। मनोज (अ0सा0—5) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का इस बात पर समर्थन किया है कि वह रिश्तेदारी में बहन की शादी में घटना दिनांक को कृष्णा मैरिज हाउस में काम करा रहा था तो गंदी कुर्सिया रखने पर से उसका अभियुक्त जावेद जो कि टेंट का काम करता है से विवाद हो गया था जिस अभियुक्तगण ने कृष्णा मैरिज हाउस में उसका गिरेवान पकड़कर उसके साथ गाली गलौच की थीं।
- 10— मनोज (अ०सा0—5) कष्णा मेरिज हाउस में अभियुक्तगण से हुये विवाद के संबंध में तो कथन देता है, जिसकी जानकारी घर पर वह अपने माता पिता को देना बताता है, परन्तु इस साक्षी का अपने मुख्यपरीक्षण में कहीं भी यह कहना नही है कि अभियुक्तगण ने उसके घर पर आकर विवाद किया था तथा घर में घुसकर उसके व उसके माता—पिता, बहन के साथ मारपीट की थीं। अतः फरियादी राजकुमार (अ०सा0—2) सिहत रेखा बाई (अ०सा0—3) महक (अ०सा0—4) व स्वयं मनोज (अ०सा0—5) के कथन अनुसार अभियुक्तगण का विवाद मनोज से कृष्णा मैरिज गार्डन में तो हुआ था, परन्तु अभियुक्तगण ने उनके घर पर आकर तथा उनके घर में घुसकर उनके साथ कोई मारपीट की घटना कारित नहीं की थी।
- 11—फरियादी राजकुमार (अ०सा0—2) सिहत रेखाबाई (अ०सा0—3) महक (अ०सा0—4) व स्वयं मनोज (अ०सा0—5) के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उन्हें पक्षविरोधी कर विस्तृत परीक्षण किया गया। परन्तु इन साक्षियों ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी राजकुमार (अ०सा0—2) जो कि घटना में आहत हैं तथा जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1 लेखबद्ध कराया जाना बताया गया है, स्वयं ही अपने कथनों में यह कहता है कि है कि उसने अभियुक्तगण के घर में घुसकर मारपीट की कोई घटना पुलिस को लेख नहीं कराई और न ही इस संबंध में पुलिस को कोई

बयान दिया। वहीं घटना में अन्य आहतगण रेखा बाई (अ०सा0—3) महक (अ०सा0—4) व मनोज कोली (अ०सा0—5) भी अभियुक्तगण के द्वारा उनके घर में घुसकर मारपीट की घटना से इन्कार करते हैं तथा पुलिस को भी इस संबंध में कथन न देना बताते है। चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एस० पी० सिद्धार्थ (अ०सा0—1) के द्वारा राजकुमार (अ०सा0—2) व महक (अ०सा0—4) के शरीर पर मेडीकल परीक्षण में चोटें न होने की पुष्टि की गयी।

- 12— अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नही है जो कि संभवतः प्रकरण में हुये राजीनामें का परिणाम हो सकता है। फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नही हुया है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 04.02.2016 को 11:00 बजे फरियादी का घर ग्राम नायपुरा में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी राजकुमार के घर में घुसकर उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया
- 13— फलतः अभियुक्तगण राजू उर्फ जावेद पुत्र जमीलउर रहमान, रिव अहिरवार पुत्र गंगाराम अहिरवार, बबुआ उर्फ शािकर पुत्र लहीक खान मुसलमान के विरूद्ध को कारित हुयी उपहित के संबंध में भादिव की धारा—452 के आरोप प्रमािणत न होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा—452 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— अभियुक्तगण राजू उर्फ जावेद पुत्र जमीलउर रहमान, रिव अहिरवार पुत्र गंगाराम अहिरवार, बबुआ उर्फ शािकर पुत्र लहीक खान मुसलमान की न्याियक निरोध में गुजारी गई अविध दण्ड में समायोजित की जावे। धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)